भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Regional Office, Chandigarh

मिसिल संख्या -: 9-HRC141/2021-CHA **दिनांक : as per e-sign**

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ -160001 (fcforest@hry.nic.in)

विषयः- Diversion of additional 16.904 ha of forest land in addition to 32.903 ha of forest land diverted in earlier proposal no. FP/HR/Road/37573/2019 (by PIU Rohtak for the rehabilitation and upgradation to four laning of Jind-Gohana-Sonipat road km.0 to 78.837) in favour of Project Director, NHAI, PIU Sonipat, in favour of Project Director, NHAI, PIU Sonipat for rehabilitation and upgradation to 4 laning of Jind-GohanaSonipat road (NH-352A) from km - 74.600 to Km - 78.837, under Division & Distt. Sonipat, Haryana (Online proposal number FP/HR/ ROAD/143744/2021)-reg.

संदर्भः- (i) State Government online proposal received on dated 05.08.2021
(ii)अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक व नोडल अधिकारी (FCA), हरियाणा सरकार **के पत्र संख्या- प्रशा -डी-तीन**-9955/4747 दिनांक 11.11.2021 एवं **प्रशा -डी-तीन**-9955/2388, दिनांक 04.03.2025.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है | इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक **01-10-2021 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति** प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) व नोडल अधिकारी के पत्र क्रमांक **प्रशा -डी-तीन**-9955/4747 दिनांक 11.11.2021 एवं **प्रशा -डी-तीन**-9955/2388, दिनांक 04.03.2025 **(ऑनलाइन पोर्टल)** द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **16.904** हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु **विधिवत स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।:-

i. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी ।

ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुचांया जाएगा| वृक्षों/पौधों की कटाई राज्य वन विभाग की कड़ी निगरानी में की जाएगी और वृक्षों/पौधों की कटाई पर खर्च की गई राशि उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा राज्य वन विभाग को जमा की जाएगी।

iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए व एसीए योजना के अनुसार degraded **वन भूमि 40.336 ha. Rohtak-Gohana-Panipat Railway line km 19 to 47 L&R side, Tehsil-Gohana & District-Sonipat** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त धनराशि से किया जायेगा | अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा |

iv. राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो के लिए हस्तानान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी ।

v. DFO यह सुनिश्चित करेंगे कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अनुमोदित CA site (sites) को नहीं बदला जाएगा ।

vi. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य कैम्पा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य कैम्पा के तहत निधियां अनुमोदित सीए योजना के अनुसार DFO को जारी की जाएंगी ।

vii. The User Agency shall ensure construction of animal friendly culverts/passage under the road at regular intervals.

viii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A**, Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in

ix. जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

x. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

xi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xii. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा |

xiii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी |

xiv. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे|

xv. प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।

xvi. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा |

xvii. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xviii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा |

xix. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भूमि संरक्षण के लिए वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी|

xx. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके |

xxi. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समहू के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी |

xxii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

xxiii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xxiv. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xxv. इस प्रस्ताव को 99 वर्षो के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी | इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी |

xxvi. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Consolidated Guidelines & Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, MoEF&CC में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A**, Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in

xxvii. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी |

xxviii. यह स्वीकृति माननीय उच्चतम न्यायालय के मुकदमा सं-CWP(C) NO. 1164/2023, के आदेश दिनांक :3.2.2025 एवं 4.3.2025 के संबंध में, उक्त मुकदमें में अंतिम परिणाम के अधीन है।

2. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है । राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी ।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है|

भवदीय
-sd-
(राजा राम सिंह)
उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)
RO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (ROHQ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली |
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. The Nodal Officer (FCA), Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (cffcpanchkula@gmail.com)
4. The CEO, CAMPA Haryana, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (haryanacampa@gmail.com)
5. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Sonipat, Haryana.
6. The Project Director, NHAI, PIU Sonipat (piusonepat@nhai.org)

Digitally signed by Raja Ram Singh Date: 09-07-2025 06:05:26

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A**, Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in